आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

8.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–09/2017–18
रंजना देवी
बनाम
गायत्री देवी शर्मा वगै0
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदिका रंजना देवी, पति–स्व0 नवल किशोर शर्मा, सा0–सत्संग मंदिर पथ बरहरवा, पो0+थाना–बरहरवा, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामान्तरण वाद संख्या 120/2016–17 में दिनांक 29.04.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही धारा 5 के अन्तर्गत कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। अवलोकन किया। अवलोकन करने एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई दिनांक 03.10.2017 को प्रारम्भ की गई। अंचल अधिकारी, बरहरवा से मूल अभिलेख का मांग करते हुए विपक्षीगण को कारणपृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	दाग न0	जमाबंदी न0	रकवा
बरहरवा	1193	76	01–04–00 धूर
	1192	76	00–03–00 धूर
	1193	440/9	00–01–01 धूर

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के साथ अपने समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किये है। जो निम्न हैः–

1. श्री गौरव शर्मा का Pan Card एवं NPS Card की छाया प्रति तथा रंजना देवी का Pan Card की छाया प्रति।
2. रंजना देवी द्वारा दिनांक 03.08.2017 को अंचल अधिकारी, बरहरवा को दाखिल किया गया आवेदन की छाया प्रति।

अपीलर्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा बरहरवा के जमांबदी न0 76, एवं 440/9 दाग न0 1192, 1193 एवं 1183 रकवा 06–04–14 धूर तथा जमाबंदी न0 76, दाग न0 1192 रकवा 00–12–00(पोखर) तथा जमाबंदी न0 76 दाग न0 1193 रकवा 00–08–00(गुड़मंडी) एवं मौजा रतनपुर थाना न0 277 जमाबंदी न0 03, दाग न0 179 रकवा 00–02–00 के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त जमीन मांग पंजी–II में जयादेयी देवी के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन को लेकर दिनांक 19.01.1981 में एक बंटननामा बनाया गया। जिसमें चार पक्ष जयादेयी देवी के पुत्रगण एवं एक पांचवा पक्ष जयादेयी देवी को भी बनाया गया। जिसमें जयादेयी देवी को मौजा रतनपुर जमाबंदी न0 03 दाग न0 179 रकवा 00–02–00 धूर (परती) तथा मौजा बरहरवा जमाबंदी न0 76 दाग न0 1193 रकवा 00–08–00 धूर (गुड़मंडी) जमीन दिया गया। पांचवा पक्ष जयादेयी देवी को बनाये जाने पर अपीलार्थी के ससुर को आपत्ति थी। फलस्वरुप उनके द्वारा उक्त बंटननामा पर हस्ताक्षर नही किया गया था, अर्थात दिनांक 19.01.1981 को बनाया गया बंटननामा में सभी की सहमति नही होने के कारण उक्त बंटननामा अधुरा था। फलस्वरुप उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि फिर किस आधार पर उक्त अधूरा बंटननामा को आधार मानकर 36 वर्षो के बाद उत्तरवादी के पक्ष में नामान्तरण किया गया। अतएव उनके द्वारा स्पष्ट कहना है कि नामान्तरण वाद संख्या 120/2016–17 दिनांक 29.04.2016 को अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा पारित आदेश बिल्कुल गलत एवं न्याय संगत के विरुद्ध है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि उक्त नामान्तरण सभी पक्षकारों को वगैर नोटिस निर्गत किये, हस्ताक्षरित व्यक्तियों का बिना भौतिक सत्यापन किये, बिना सुने एवं अपीलार्थी की जाली हस्ताक्षर कराकर राजस्व कर्मचारी एव प्रभारी अंचल निरीक्षक को उत्तरवादी अपने पक्ष में लेकर नामान्तरण करा

Scanned with CamScanner

लिए है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा नामान्तरण वाद संख्या 120/2016–17 दिनांक 29.04.2016 में पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करने का अनुरोध किये है।

उत्तरवादी आज उपस्थित।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि उक्त वाद में अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी को पक्षकार नही बनाना चाहिए। उक्त संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 19.01.1981 को जयादेयी देवी के नाम की सम्पति के बंटननामा को स्वीकार किया गया है एवं उक्त बंटननामा के आधार पर सभी पक्षकार को दखल भी प्राप्त है। अतएव उक्त बंटननामा को चुनौती नही दिया जा सकता है।

उनका यह भी कहना है कि काशीनाथ शर्मा को जो सम्पति बंटननामा के आधार पर प्राप्त हुआ था, उसी सम्पति को गायत्री देवी ने उत्तरवादी के पक्ष में दान पत्र द्वारा दान किया गया है।

अंत में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्वत्व संबंधित कागजात पर यह न्यायालय को कोई मन्तव देने का अधिकार नही है, साथ ही जबतक दान पत्र को व्यवहार न्यायालय के द्वारा (Set –a-side) अपास्त नही किया जा सकता है, तबतक दान पत्र के आधार पर खारीज–दाखिल को लेकर चुनौती नही किया जा सकता है। अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 120/2016–17 दिनांक 29.04.2019 में पारित आदेश न्याय संगत है।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामान्तरण अपील आवेदन को खारीज किया जाय।

अंचल अधिकारी, बरहरवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त मूल अभिलेख में हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि गैर मजरुआ, आम खास, वासगीत पर्चा, भूहदबंदी व बंदोबस्ती की भूमि नही है। आवेदित भूमि जमाबंदी रैयती के मरणोपरांत दिनांक 22.11.1980 को पंचो द्वारा पारिवारिक बंटन किया गया। वर्त्तमान में सभी पक्षों की सहमति से नीज–नीज अंशों का शपथ पत्र संख्या 35,36,37 एवं 38 दिनांक 01.04.2016 के द्वारा लेना स्वीकार किया है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतएव मौजा के 16 आना रैयतों के अनापत्ति के आभाव में दाखिल–खारीज की स्वीकृति दी जा सकती है, की अनुशंसा हल्का कर्मचारी द्वारा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन का सत्यापन करते हुए नामान्तरण की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 की धारा 14 का पालन नही किया गया है।

अतएव उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी बरहरवा के नामान्तरण वाद संख्या 120/2016–17 दिनांक 29.04.2016 में पारित आदेश को अपास्त(Set –a-side) किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, बरहरवा को आदेश दिया जाता है कि आवेदन आमंत्रित करते हुए 30 दिनों के अन्दर बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 की धारा 14 का पालन करते हुए नियम संगत नामान्तरण की कार्रवाई करेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

ज्ञापांक - 141/भू०सु०
दिनांक - 04.02.2020.